न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अंपील संख्या 09/2020

अपीलार्थी	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
1. मानव भारती चेरिटेबल ट्रस्ट मु. लाडो, पोस्ट सुल्तानपुर तहसील व जिला सोलन हिमाचल प्रदेश हाल भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही जरिए अधिकृत कृष्णकुमारसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह निवासी हाल भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 28.03.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 188/2020 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 20.04.2020 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा ग्रांम भुजेला पटवार हल्का भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 1/146 रकबा 4.15 बीघा किस्म नं. 2 पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत [illegible] किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल [illegible] पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। [illegible] हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 500/– जुर्माना आरोपित करने [illegible]देश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि ग्राम भुजेला व ग्राम वाडा पटवार हल्का भारजा में अपीलांट ट्रस्ट के नाम भुजेला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

के खसरा संख्या 146/8 में 41 बीघा 05 बिस्वा तथा ग्राम बाडा के खसरा संख्या 146/1 में से 08 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 50 बीघा भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के मार्फत आवंटित करवाई थी, जो कार्यालय आदेश संख्या पं.12(3)(22)/राज./2012/3259–68 दिनांक 15.06.2012 के द्वारा 99 वर्ष के लिए आवंटित हुई है, जिसका पट्टा विलेख संख्या 2012000845 दिनांक 22.06.2012 के द्वारा उपपंजीयक कार्यालय भावरी में पंजीबद्ध हो चुका है, इसके पश्चात उसका नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 331 व 232 दर्ज किया गया तथा जीएसपीएल कम्पनी की मेहसाणा–भटिंडा गैस पाईपलाईन की अवाप्ताधीन भूमि को छोडकर शेष कुल रकबा 50 बीघा भूमि कब्जा ट्रस्ट को सुपूर्द किया था। तत्पश्चात अपीलांट ने माधव विश्वविद्यालय के नाम से युनिवर्सिटी के भवन का निर्माण करवाया। यह है कि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उक्त ट्रस्ट की भूमि को तरमीम करते समय जीएसपीएल कम्पनी के अवाप्ताधीन प्रस्तावित भूमि को अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि मानते हुए गलत रूप से तरमीम कर दी, जिससे कब्जे के सम्बन्ध में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमित मानते हुए उसकी विरूद्ध 91 की कार्यवाही अमल में लाई गई, जिससे अपीलांट को ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की आवंटित भूमि को रेकर्ड में गलत रूप से तरमीम किया है, जिस पर अपीलांट के द्वारा लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर एसडीओ पिण्डवाडा के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर वाद सुनवाई पक्षकारान कब्जे अनुसार तरमीम के आदेश पारित हुए एवं इसी आदेश के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में की गई धारा 91 की कार्यवाही ड्रॉप की गई। यह है कि राजनैतिक दबाव के कारण लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर एसडीओ पिण्डवाडा के निर्णय दिनांक 14.06.2016 को अवधि समाप्त होने के बाद अपीलांट को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 20.08.2018 को अपास्त करवाया। यह है कि अपीलांट द्वारा अपनी कब्जेशुदा भूमि मय भवन जो 01 बीघा 19 बिस्वा का है, उसे नियमानुसार अपीलांट के हक में राज्य सरकार द्वारा आवंटन/नियमन करने हेतु जिला कलक्टर सिरोही को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा रेस्पोडेन्ट व उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा से अ[illegible] जरिए पत्र क्रमांक प. 12(3)(22)/राज./2012/5489 दिनांक 14.[illegible]2018 को आवंटन/नियमन का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में भिजवाने के सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को लिखा, जिस पर उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा ने जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/1086 दिनांक 20.07.2018 को ग्राम भुजेला के खसरा

Bello
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संख्या 1/146 रकबा 28 बीघा 08 बिस्वा में से रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा का प्रस्ताव तैयार कर अपीलांट के हक में नियमन करने की अनुशंषा के साथ भेजा था, इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो गलत है। यह है कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-06 विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक14(1)रेवेन्यू6/2005/25 दिनांक 17.07.2017 के द्वारा राजस्व भू राजस्व (स्कूलो, कॉलेजों आदि को अनाधिवासित कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 3 में संशोधन करके नियम 3ए के तहत यदि किसी स्कूल, कॉलेज आदि गैर सरकारी संस्था द्वारा आवंटित से पूर्व राजकीय भूमि का उपयोग कर लिया हो तो उसे नियम 3ए भाग बी-2 के अनुसार 01 बीघा से 02 बीघा के बीच में आवंटन चाहे जाने से उक्त नियमों में दिए गए प्रीमियम का दो गुना लेकर नियमन किया जा सकेगा। उक्त नियम के अनुसार जिला कलक्टर सिरोही द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप-03 विभाग राजस्थान जयपुर को जरिए पत्र क्रमांक प.12(3)(22)/राज./2012/4745 दिनांक 26.07. 2018 को आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जो वर्तमान में लम्बित है। यह है कि जिला प्रशासन सिरोही द्वारा गठित टीम दिनांक 12.08.2019 को अपीलांट को आवंटित भूमि रकबा 50 बीघा की मौका पैमाईश की थी, जिस पर ग्राम बाडा के बिलानाम खसरा संख्या 2699/146 रकबा 8.6 बीघा के आंशिक भाग पर अपीलांट की बाउण्ड्री वॉल को जेसीबी से ध्वस्त कर कब्जे सरकार लिया था, उसके बाद से ग्राम बाडा की सरहद पर अपीलांट का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया था। यह है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा संख्या 1/146 पर 4.15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए गलत रूप से नोटिस जारी किया है, जबकि अपीलांट द्वारा उक्त खसरा के केवल 1.19 बीघा भूमि पर ही भवन बना रखा है, जिसका नियमानुसार नियमन आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के पास लम्बित है। यह है कि अपीलांट को जारी नोटिस में 0.08 बीघा पर निर्माण कार्य होना बताया है, उक्त भूमि अन्य व्यक्ति की निजी खातेदारी भूमि है, जिस पर कानूनन धारा 91 की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट [illegible] स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर बिल्डिंग व मैदान के रूप में काम में लिया जा रहा है। पटवारी हल्का भारजा के रिपोर्ट के आधार अपीलार्थी द्वारा

Scanned with CamScanner

मौके पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुं कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में न. 2 दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2076 मे अतिक्रमण करने एवं बिल्डिंग व मैदान के रूप में काम में लेने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट ने अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज की है एवं जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा किया गया यह कथन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का भारजा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा भुजेला पटवार हल्का भारजा के खसरा संख्या 1/146 रकबा 4.15 बीघा किस्म न.–2 पर अपीलांट ने अवैध बिल्डिंग व मैदान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलांट को राज्य सरकार की सद्भावना से कुल 50 बीघा भूमि आ[illegible]थी, जिस पर अपीलांट ने माधव विश्वविद्यालय के नाम [illegible] करवाया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि आवंटित भूमि व उसकी नक्शे में तरमीम में त्रुटि होने पर उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर एसडीओ पिण्डवाडा के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 14.06.2016 को निर्णय हो चुका है, जिसके कारण अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

Bulla
[illegible] कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गई धारा 91 की कार्यवाही ड्रॉप की गई थी, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर एसडीओ पिण्डवाडा के निर्णय दिनांक 14.06.2016 को दिनांक 20.08.2018 के निर्णय के द्वारा अपास्त किया जा चुका है, जिससे अपीलांट के द्वारा लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर एसडीओ पिण्डवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रभाव में नहीं रहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि भू–अभिलेख निरीक्षक झाडोली, पिण्डवाडा, भावरी, रोहिडा, वाटेरा एवं पटवारी हल्का भारजा व आदर्श के द्वारा बनाई गई मौका फर्द दिनांक 18.02.2020 में भी यह स्पष्ट किया है कि अपीलांट के द्वारा ग्राम भुजेला के बिलानाम खसरा नम्बर 1/146 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा पर अतिक्रमण पाया गया जिसमें तीन बहुमंजिला भवन व एक आंशिक बहुमंजिला भवन व चार दीवारी आंशिक पाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा ग्राम वाडा में अतिक्रमण किया था, जिसे अपीलांट स्वयं के द्वारा अतिक्रमण व मलबा हटाया जाना स्वीकार किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/1086 दिनांक 20.07.2018 को ग्राम भुजेला के खसरा संख्या 1/146 रकबा 28 बीघा 08 बिस्वा में से रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा का प्रस्ताव तैयार कर अपीलांट के हक में नियमन करने की अनुशंषा के साथ जिला कलक्टर सिरोही को भेजा था, जिस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप–03 विभाग राजस्थान जयपुर को जरिए पत्र क्रमांक प.12(3)(22)/राज./2012/4745 दिनांक 26.07.2018 को आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जो वर्तमान में लम्बित है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा मौके पर खसरा संख्या 1/146 पर अतिक्रमण कर रखा है एवं राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–06 विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक14(1)रेवेन्यू6/2005/25 दिनांक 17.07.2017 के द्वारा राजस्व भू राजस्व (स्कूलो, कॉलेजों ... भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 3 में संशोधन करके ... 3(... अनुसार नियमन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भी ... कलक्टर सिरोही के द्वारा अपीलांट के हक में राज्य सरकार को अनुशंषा ... प्रस्ताव भेजने से अपीलांट को उक्त विवादित भूमि के नियमन अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। अतः जब तक अपीलांट को राज्य सरकार द्वारा नियमन/आवंटन अधिकार प्राप्त नहीं होते है, तब तक उक्त खसरा संख्या 1/146 पर किया गया निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner